हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवमं अधिकारिता विभाग

संख्या SJ&E-F(5)-4/2006 दिनाक: 5 जुलाई, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उददेश्य से "बालिका समृद्धि योजना" के स्थान पर "बेटी है अनमोल योजना" परिशिष्ट "क" पर दर्शाये गये उददेश्य, नियम, दिशा निर्देश व शर्तो के आधार पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है ।

यह दिशा निर्देश उक्त अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होगें ।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव
सामाजिक न्याय एवमं अधिकारिता
विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: SJ&E-F(5)-4/2006 दिनांक शिमला–2 5 जुलाई, 2010

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
4 प्रधान निजि सचिव मुख्य मन्त्री हि0प्र0 ।
5 वरिष्ठ निजि सचिव, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री हि0प्र0 ।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि.प्र., शिमला.5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतू ।
7. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला.9 । उनसे अनुरोध है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से राजपत्र की पांच प्रतियां प्राप्त करने की कृपा करें।
8 अनुभाग अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अनुभाग-ख ।
9. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां ।

अवर सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार

-151-

परिशिष्ट– क

# बेटी है अनमोल

## योजना की विशेषता:–

बेटी है अनमोल योजना पूर्णतः प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अपने संसाधनों से पोषित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। यह योजना एतद बारे जारी अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। योजना के उद्देश्य, नियम, दिशा निर्देश व शर्तो का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. **योजना का उद्देश्य:**

   i) परिवार तथा समुदाय में बेटी के जन्म पर बेटी एंव माता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण में बदलाव लाना।

   ii) बेटी के बाल विवाह पर रोक।

   iii) बेटी के स्कूल में दाखिले एंव शिक्षा जारी रखने हेतू प्रोत्साहन।

   iv) लड़कियों को आय जननशील कियाकलाप अपनाने हेतू सहायता।

   v) लड़कियों को सशक्त एंव आत्मनिर्भर बनाना।

2 **योजना की व्याप्ति (कार्यक्षेत्र):**

बेटी है अनमोल योजना प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी।

3. **लक्षित समूह :**

**बेटी है अनमोल** योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को लाभान्वित किया जाना है।

4. **योजना का प्रारुप:**

बेटी है अनमोल योजना के अर्न्तगत हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हों ऐसे परिवारों में योजना के लागू होने के पश्चात जन्मी केवल दो बेटियों को लाभान्वित किया जायेगा। **अनमोल बेटी योजना के अर्न्तगत लाभ/सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को कमांक 5 पर दी गई शर्त पूर्ण करनी होंगी।**

5. **लाभ प्राप्त करने हेतु शर्तें:–**

   i) पात्र बेटी का परिवार हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो।

   ii) प्रार्थी का परिवार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सूचि में चिन्हित होना चाहिए।

   iii) 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले लाभान्वित बेटी का विवाह नहीं होना चाहिए।

iv) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूचि में चिन्हित परिवार की संख्या, बेटी के जन्म तिथि का प्रमाण पत्र तथा परिवार में जन्मी बेटी का क्रम (जैसे पहली बेटी, दूसरी बेटी), आदि, सम्बन्धित प्राधीकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यह अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी होगा जबकि शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका/ नोटिफाईड ऐरिया कमेटी का सचिव होगा।

v) केन्टोनमेन्ट बोर्ड में उस क्षेत्र का सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी उपरोक्त प्रमाण जारी करने हेतु सक्षम होगा।

6. **योजना के अर्न्तगत प्राप्त होने वाले लाभ का विवरण :**

i) पात्र बेटी के जन्म होने के पश्चात सरकार द्वारा पोस्ट बर्थ ग्रान्ट ( **Post Birth Grant** ) मु0 5100/—रूपये 18 वर्ष के लिए डाकघर/बैंक की शाखा में बेटी के नाम से जमा करवाये जायेंगे।

ii) पात्र बेटी को शिक्षा प्राप्त करने के दौरान प्रत्येक कक्षा के लिए छात्रवृति दी जाएगी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—

1. प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा तक मु0 300/—रूपये प्रति वर्ष
2. चतुर्थ कक्षा में मु0 500/—रूपये प्रति वर्ष
3. पांचवी कक्षा में मु0 600/—रूपये प्रति वर्ष
4. छठी एवं सातवी कक्षा में मु0 700/—रूपये प्रति वर्ष
5. आठवीं कक्षा में मु0 800/—रूपये प्रति वर्ष
6. नौवीं एवं दसवीं कक्षा में मु0 1000/— रूपये प्रति वर्ष
7. ग्याहरवी एवं बारहवी कक्षा में मु0 1500/— रू0 प्रतिवर्ष शिक्षा प्रोहत्साहन हेतु दी जायेगी।

7. **पोस्ट बर्थ ग्रान्ट ( Post Birth Grant ) के अर्न्तगत प्राप्त होने वाले लाभ लेने की प्रक्रिया:**

i) पात्र बेटी के जन्म पर उसके माता या पिता सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र (अनुबन्ध'क') पर आवेदन करेंगे। प्रपत्र आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता से प्राप्त किया जा सकता है। भरा हुआ प्रपत्र भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ही अग्रिम कार्यवाही हेतू सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करवाने के लिए दिया जाएगा।

ii) बाल विकास परियोजना अधिकारी तत्काल पात्र बालिका के नाम बैंक अथवा डाकघर में निश्चित अवधि के लिए खाता खुलवाएगा/खुलवाएगी। यह खाता बालिका के नाम से खुलवाया जाएगा लेकिन बाल विकास परियोजना अधिकारी के पक्ष में प्रति बन्धित (

Pledge ) करवाया जाएगा। बेटी के अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इस खाते की पूरी राशि ब्याज सहित बालिका को अदा की जाएगी । लेकिन यदि बालिका की

अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही शादी हो जाती है तो उसके खाते की राशि स्वतः सरकार को प्राप्त हुई राशि समझी जाएगी। सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी ऐसे बैंक खातों मे जमा करवाई गई राशि को ब्याज सहित आहरित करेगा/करेगी तथा इस राशि का प्रयोग अन्य पात्र बालिका को लाभान्वित करने हेतू किया जाएगा ।

iii) बालिका की मृत्यु होने पर उसके नाम पर खोले गए खाते की राशि भी स्वतः सरकार को प्राप्त हुई राशि समझी जाएगी।

iv) छात्रवृति हेतु प्रोत्साहन राशि पात्र बालिका को उसके अभिवावकों के लिखित अनुरोध के अनुसार नकद भी दी जा सकेगी तथा यदि वे चाहें तो यह राशि भी उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।

8. **छात्रवृति प्राप्त करने हेतु प्रकिया:**

छात्रवृति प्राप्त करने हेतु बालिका के पाठशाला में दाखिल होने के बाद बालिका के अभिभावक सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें सम्बन्धित पाठशाला के मुख्याध्यापक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि कुमारी............... पुत्री श्रीमती/श्री ......................निवासी.............................. को इस पाठशाला .................... (पाठशाला का नाम/पता) में कक्षा ............ में दिनांक ......... ............ को प्रवेश दिया गया तथा यह बालिका इस कक्षा में पहले अनुतीर्ण नहीं हुई है। छात्रवृति स्वीकृत करने हेतु प्रपत्र (अनुबन्ध 'ख') पर संलग्न है।

9. **स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी**

सम्बन्धित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी बेटी है अनमोल योजना के अर्न्तगत पात्र बालिका के पक्ष में योजना के प्रावधानानुसार पोस्ट वर्थ ग्रान्ट तथा छात्रवृति स्वीकृत करने हेतु सक्षम होगा।

10. इस योजना के लागू होने के पश्चात, पूर्व में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही बालिका समृद्वि योजना के अर्न्तगत लाभान्वित की जा रही बालिकाएं जो केवल 10 वीं कक्षा तक ही छात्रवृति हेतु पात्र है वे भी **"बेटी है अनमोल"** योजना के अर्न्तगत कक्षा ग्यारहवी व बारहवीं में नई दर से मु0 1500/– रू0 वार्षिक छात्रवृति के लिए पात्र होगीं।

11. "बेटी हैं अनमोल" योजना के लागू होने के पश्चात पूर्व में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही बालिका समृद्वि योजना के अर्न्तगत कोई भी नई स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

———o———o———o———o———

165
-154-
-4-

- 2

अनुबन्ध'क'

## बेटी है अनमोल योजना के अर्न्तगत आवेदन प्रपत्र

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
बाल विकास परियोजना——
जिला ———हि0 प्र0

महोदय/महोदया,

निवेदन है कि मेरे परिवार में दिनांक —— को पहली/ दूसरी बालिका का जन्म हुआ है। मैं हि0 प्र0 का स्थाई निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती — है । मेरा परिवार गरीबी रेखा में चिन्हित परिवारों की सूचि में है तथा इसका BPL NO. ——है। अतः निवेदन है कि मेरी बेटी को हि0 प्र0 सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी है अनमोल योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित लाभ प्रदान करें।

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

a) बेटी के पिता / माता का नाम
b) बेटी का नाम
c) बेटी के जन्म की तिथि
d) परिवार में बेटी की संख्या/कम (पहला /दूसरा)

---

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदक द्वारा दर्शाए गये तथ्य सही है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती........................ BPL के अर्न्तगत चयनित है तथा सूचि में क. स0 —— पर प्रदर्शित है।
BPL NO ————है।

3. इनके परिवार में दिनांक ——— को पहली /दूसरी/ बेटी पैदा हुई है । परिवार रजिस्टर में बेटी का नाम — तथा बेटी के माता/ पिता का नाम ———है ।

हस्ताक्षर
ग्राम पचांयत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत————
विकास खण्ड————
तहसील————
जिला————

प्रमाण पत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदक द्वारा दर्शाए गये तथ्य सही है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि

आवेदक श्री / श्रीमती..................का परिवार आंगनवाड़ी केन्द्र .................. के सर्वेक्षण रजिस्टर में क0 स0............ पर दर्ज है। बेटी का जन्म भी परिवार रजिस्टर में दर्ज है। बेटी के जन्म से पहले इसकी माता केन्द्र से पौषहार प्राप्त करती रही / नहीं करती रही। बालिका का जन्म घर / अस्पताल में हुआ।

2. इनके परिवार में दिनांक -------- को पहली /दूसरी / बेटी पैदा हुई है । परिवार रजिस्टर में बेटी का नाम ----

तथा बेटी के माता / पिता का नाम -------है ।

हस्ताक्षर

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
आंगनवाड़ी केन्द्र
ग्राम पंचायत----------
बाल विकास परियोजना--------
जिला-----------

<u>सक्षम अधिकारी का स्वीकृति प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी सारे तथ्यों से सन्तुष्ट होने के उपरान्त कुमारी--------- पुत्री श्रीमती / श्री ------------निवासी---------------- के पक्ष में मु0 5100/—रू0 की पोस्ट बर्थ ग्रान्ट की स्वीकृति प्रदान करता /करती है। यह राशि बैंक / डाकघर------------में सावधी खाता के रुप में जमा करवाई जाएगी तथा इसका पूर्ण अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। एतद सम्बन्धि सभी लैजर कार्यालय में जाँच हेतु सुरक्षित है।

(मुहर तथा हस्ताक्षर)
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
बाल विकास परियोजना---------
जिला-------------------
हिमाचल प्रदेश।

166
155
-6-

अनुबन्ध 'ख'

छात्रवृति स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी का स्वीकृति बारे प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी सारे तथ्यों से सन्तुष्ट होने के उपरान्त कुमारी———— पुत्री श्रीमती / श्री —————निवासी——————— के पक्ष में मु0 ............रू0 की छात्रवृति की स्वीकृति प्रदान करता /करती है। यह राशि कुमारी....................के नाम में बैंक / डाकघर————— में जमा करवाई जाएगी / कुमारी को नकद अदा की जाएगी। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कुमारी ......................को कक्षा ...........................में प्रवेश के समय यह राशि पहले अदा / स्वीकृत नहीं की गई है। इसका पूर्ण अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है तथा एतद सम्बन्धि सभी लैजर कार्यालय में जांच हेतु सुरक्षित है।

(मुहर तथा हस्ताक्षर)
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
बाल विकास परियोजना————
जिला——————————

-10-

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्या: एस०जे०ई०–एफ–(5)–4/2006–1 दिनांक: 19 मई, 2018

## अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या कल्याण–छ–(4)–2/90-IV दिनांक 02.06.2012 के कम को जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों मे जन्मी दो बेटियो को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से "बेटी है अनमोल योजना" के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस०जे०ई०–एफ–(5)-4/2006 दिनांक 05–07–2010 के परिशिष्ट–क, की मद संख्या 6 (1) में आंशिक संशोधन करते हुए, इस योजना के तहत जमा करवाई जाने वाली राशि मु0 10,000/रु0 (दस हजार) से बढ़ाकर मु0 12,000/–(बारह हजार ) करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । शेष शर्ते यथावत रहेंगी ।

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अनौपचारिक पत्र संख्या फिन (सी) बी (15)–3/2016 लूज दिनांक 17.5.2018 के अनुसरण में जारी की जाती है ।

3. यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगा।

आदेश द्वारा
हस्ता/-

(निशा सिंह)
अति0 मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त दिनांक: शिमला–02 19 मई, 2018

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजि सचिव मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजि सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश।
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी,हि0 प्र0 ।
9. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश।
10. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां।

(डी0 आर0 परमार)
अवर सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

-167
-156

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग

संख्या: Kalyan-Cha(4)-2/90-IV दिनांक: 02जून, 2012

## अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उददेश्य से **"बेटी है अनमोल योजना"** के अर्न्तगत जारी अधिसूचना सम संख्या दिनांक 05.07.2010 के परिशिष्ठ "क" की मद संख्या 6(1) में आंशिक संशोधन करते हुए, इस योजना के तहत जमा करवाई जाने वाली राशि मु० 5100/-₹ से बढाकर, ₹ 10,000/- करने की स्वीकृति प्रदान करती हैं। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होंगी।

आदेश द्वारा

**सरोज कुमार दास**
अतिरिक्त मुख्य सचिव
सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या : Kalyan-Cha(4)-2/90-IV दिनांक: शिमला-02 02जून, 2012

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02
2. समसत विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजि सचिव मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजि सचिव, माननीय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्री, हि० प्र०।
6. नियत्रंक, मुद्रण एवं लंखन सामग्री, विभाग हि० प्र०शिमला 5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु।
7. निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला 9।
8. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हि० प्र० सरकार शिमला-02
9. संरक्षण नस्ति/ अतिरिक्त प्रतियां।

Uecrar
उप सचिव (सा० न्याय एंव अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस0जे0ई0–एफ–(5)–4/2006–1 दिनांकः 23 जुलाई, 2015

## अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी की बेटियों को सहायता प्रदान करने के उददेश्य से **"बेटी है अनमोल योजना"** के अर्न्तगत जारी अधिसूचना सम संख्यक दिनांक 05.07.2010 के परिशिष्ठ 'क' की मद संख्या 6(ii) में आंशिक संशोधन करते हुए इस योजना के तहत पात्र बेटी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृति को 50 प्रतिशत तक बढाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

आदेश द्वारा

अनुराधा ठाकुर
सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांकः शिमला–02 23 जुलाई, 2015

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजि सचिव मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजि सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश।
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश।
8. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश।
9. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां।

अवर सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस0जे0ई0–एफ–(5)–4/2006–1 दिनांकः 12 अगस्त, 2021

## अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या सं0जे0ई0–एफ–(5)–4/2006–1 दिनांक 19 मई, 2018 के कम को जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में जन्मी दो बेटीयों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से **"बेटी है अनमोल योजना"** के अर्न्तगत परिशिष्ठ 'क' की मद संख्या– 6(i) में संशोधन करते हुए, इस राशि को मु0 12,000/–(बारह हजार) से बढ़ाकर मु0 21,000/–(इक्कीस हजार) करने तथा 6(ii) को विलोपित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के अनौपचारिक पत्र सं0 फिन (सी0) बी0(15)–14/2021 दिनांक 17–05–2021 के अनुसरण में जारी की जाती है।

यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगें।

आदेश द्वारा

संजय गुप्ता,
अति0मख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांकः शिमला–02 12 अगस्त, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4 प्रधान निजी सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवष्यक कार्यवाही हेतु।
7. उप सचिव, (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार उनके मद स0 01 के सन्दर्भ में सूचनार्थ पृष्ठांकित है।
8. उप सचिव, (वित्त विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार
9. समस्त जिला कार्यकम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी,हि0प्र0

(टी0आर0 परमार)
उप सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

— 215

संख्याः एस0जे0ई0—एफ—(5)—4/2006—1 दिनांकः 25 सितम्बर, 2017

# अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश **"बेटी है अनमोल योजना"** के अर्न्तगत जारी अधिसूचना सम संख्यक दिनांक 05.07.2010 तथा दिनांक 23.07.2015 के क्रम को जारी रखते हुए इस योजना के परिशिष्ठ 'क' की मद संख्या 6(ii) में आंशिक संशोधन करते हुए इस योजना के तहत पात्र बेटी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली विद्यालय स्तर की छात्रवृति को स्नातक स्तर तक अनुबन्ध "क" के अनुसार बढाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

215–216
P.-193, 194

आदेश द्वारा

आर0डी0 धीमान
प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांकः शिमला—02 25 सितम्बर, 2017

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—02.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला—5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
7. **निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
8. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार।
9. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां।

छवि नान्टा

(छवि नान्टा)
उप सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

अनुबन्ध "क"

| कमांक | कक्षा | छात्रवृति की दरें (रुपये प्रति वर्ष) |
|---|---|---|
| 1. | प्रथम से तृतीय | 450/- |
| 2 | चतुर्थ | 750/- |
| 3 | पाचवी | 900/- |
| 4 | छठी एव सातवी | 1050/- |
| 5. | आठवी | 1200/- |
| 6. | नौवी एवं दसवी | 1500/- |
| 7 | ग्यारहवीं एव बारहवी | 2250/- |
| 8. | कला स्नातक (B.A), वाणिज्य स्नातक (B.Com), विज्ञान स्नातक (B.Sc) इत्यादि। | 5000/- (उक्त छात्रवृति की दर स्नातक स्तर की प्रथम से अंतिम वर्ष की कक्षाओं में दी जाएगी। यदि पात्र लड़की स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष की किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण रहती है, तो उसी कक्षा के लिए उसे दूसरी बार उक्त छात्रवृति की दर प्रदान नहीं की जायेगी) |
| 9. | इंजीनियर स्नातक (B.E), प्रौद्योगिकी स्नातक (B.Tech.), आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक (MBBS), विधि स्नातक (LLB), शिक्षा स्नातक (B.Ed) इत्यादि। | 5000/- (उक्त छात्रवृति की दर स्नातक स्तर की प्रथम से अंतिम वर्ष की कक्षाओं में दी जाएगी। यदि पात्र लड़की स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष की किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण रहती है, तो उसी कक्षा के लिए उसे दूसरी बार उक्त छात्रवृति की दर प्रदान नहीं की जायेगी) |

छवि नान्टा

(छवि नान्टा)
उप सचिव (सा० न्याय एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार